न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः19 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 23)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर।	1. अवतार सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. प्रदीप कौर पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. सिमरनजीत सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. अमनदीप कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. ईकबाल सिंह पुत्र बावा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. करतार कौर पुत्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 बी बी तहसील पदमपुर। 4. जरनैल कौर पुत्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 बी बी तहसील पदमपुर। 5. निशान सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 बी बी तहसील पदमपुर। 6. प्रभजीत सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 7. राधेश्याम पुत्र रेशम सिंह जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 03 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 8. सुनिता पत्नी अमरजीत चावला जाति अरोडा निवासी पुलिस लाईन बीकानेर जिला बीकानेर। 9. साहिल वाटस पुत्र जुगल किशोर जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 4 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 28.01.2025

उपस्थितः1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

2.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 6 ता 9

——निर्णय—— दिनांकः 02.04.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 1 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 24, 30 की कुल 3.023 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहुलियत के अनुसार मौखिक समझौता अनुसार उक्त भूमि का बंटवारा किया हुआ है। मौखिक समझौता अनुसार अनुसार वादी को चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 में 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 में 0.078 हैक्टेयर की कुल 0.242 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादीगण मौखिक समझौता के अनुसार अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन दोनो का कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 24, 30 की कुल 3.023 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 30 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

नम्बर 1 में 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 में 0.078 हैक्टेयर की कुल 0.242 हैक्टेयर भूमि का
अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।
प्रतिवादी संख्या 2, 6 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या
1/1, 1/2, 1/3, 3, 4 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2, 6 ता 9 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर
क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार
किया जाकर राजस्व ग्राम 1 यू के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 में 0.0315 हैक्टेयर भूमि
का प्रभजीत सिंह के नाम, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 2 में 0.112 हैक्टेयर भूमि, किला
नम्बर 4 में 0.008 हैक्टेयर कुल 0.120 हैक्टेयर भूमि का ईकबाल सिंह के नाम, मुरब्बा नम्बर 30
के किला नम्बर 3 में 0.0315 हैक्टेयर भूमि का राधेश्याम के नाम, मुरब्बा नम्बर 30 के किला
नम्बर 3 में 0.315 हैक्टेयर भूमि का सुनिता के नाम, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3 में 0.
0315 हैक्टेयर भूमि का साहिल वाट्स के नाम अलग से खाता व लगान कायम किए जाने के आदेश
दिए जावे। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम स्वीकार
किया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन
किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से
विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 2, 6 ता 9 का काउन्टर क्लेम डिक्री
किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्तागण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 2, 6 ता 9 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 24, 30 की कुल 3.023 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी कुलदीप सिंह, प्रतिवादीगण ईकबाल सिंह, प्रभजीत सिंह, राधेश्याम, सुनिता, साहिल वाट्स के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{श्योराम} (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव मदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव मदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कुलदीप सिंह बनाम अवतार सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 19/2025

निर्णय दिनांक:-02.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 1 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 45/39 के मुरब्बा नम्बर 24, 30 की कुल 3.023 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी कुलदीप सिंह, प्रतिवादीगण ईकबाल सिंह, प्रभजीत सिंह, राधेश्याम, सुनिता, साहिल वाट्स के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 02.04.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक: 02.04.2025

क्रमांक: रीडर/2025/200

प्रतिलिपि:- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)